रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 431] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19, 1996/अग्रहायण 28, 1918
No. 431] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 1996/AGRAHAYANA 28, 1918

indiacode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1996

सा. का. नि. 575 (अ).—केन्द्रीय सरकार, गोवा, दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 (1962 का 1) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों के अधीन रहते हुए, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का विस्तार दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र पर करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रम सं०	अधिनियमितियां	उपान्तरण
(1)	(2)	(3)
1.	गोआ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 14)	1. धारा 1 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— "(3) इसका विस्तार दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर है।" 2. धारा 2 में, 'गोवा भू-राजस्व संहिता, 1968 (1969 का अधिनियम 9)' शब्दों और अंकों के स्थान पर 'दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त गोवा, दमन और दीव भू-राजस्व संहिता, 1968 (1969 का अधिनियम 9)' शब्द और अंक रखे जाएंगे।
2.	गोवा भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का अधिनियम 4)	1. धारा 1 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :— "(2) यह तुरन्त प्रभावी होगा। (3) इसका विस्तार दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर है।"

(1)	(2)	(3)
		2. धारा 2 में, (क) "दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत गोवा भू-राजस्व संहिता, 1968 (1969 का अधिनियम 9)" शब्दों और अंकों के स्थान पर "गोवा, दमण और दीव भू-राजस्व संहिता, 1968 (1969 का अधिनियम 9)" शब्द और अंक रखे जाएंगे; (ख) खंड (ii) में "5 रु०" अंक और अक्षर के स्थान पर "15 रु०" अंक और अक्षर रखे जाएंगे; 3. धारा 3 का लोप किया जाएगा।
3. गोवा भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 9)		1. धारा 1 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— "(3) इसका विस्तार दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर है।" 2. धारा 2 में, "गोवा भू-राजस्व संहिता, 1969 (1969 का अधिनियम 9)" शब्दों और अंकों के स्थान पर "दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त गोवा, दमण और दीव भू-राजस्व संहिता, 1968 (1969 का 9)." शब्द और अंक रखे जाएंगे।

उपाबन्ध-I

दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित गोवा भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1988(1988 का 14)।

गोवा भू-राजस्व संहिता, 1968 का और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में गोवा विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गोवा भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1988 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र पर है।

2. धारा 32 का संशोधन.—दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में यथाप्रवृत्त गोवा, दमण और दीव भू-राजस्व संहिता, 1968 (1968 का अधिनियम 9) की धारा 32 में,—

(i) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) कलक्टर, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, आवेदन पर विनिश्चय किया जाएगा और ऐसा न करने पर व्यक्ति को सरकार के सचिव (राजस्व) को अपील करने का अधिकार होगा जो अपील फाइल करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटान करेगा"।

(ii) उपधारा (4) में "या अनुदत्त किया गया समझा जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

उपाबंध—II

दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित गोवा भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का गोवा अधिनियम 4)।

गोवा भू-राजस्व संहिता, 1968 का और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में गोवा विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गोवा भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1988 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर है।

2. **धारा 32 का संशोधन :**—दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त गोवा, दमण और दीव भू-राजस्व संहिता, 1968 (1969 का अधिनियम 9) की धारा 32 की उपधारा (6) में, "नियमों के अधीन विहित" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द और अंक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"नीचे उल्लिखित दरों पर फीस के संदाय पर नियमों के अधीन विहित :—

(i) निजी आवास पर—2 रु० प्रति वर्ग मीटर

(ii) वाणिज्यिक आवास/औद्योगिक और वाणिज्यिक निर्माण पर—15 रु० प्रति वर्ग मीटर

परन्तु निम्नलिखित मामलों में जहां सनद अनुदत्त की जाती है ऐसी कोई फीस उद्ग्रहण नहीं होगी :—

(i) दो सौ वर्ग मीटर से अनधिक क्षेत्र के लिए;

(ii) चर्च, मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, खेलकूद, अस्पतालों या शैक्षिक पूर्त, सांस्कृतिक या धार्मिक संस्थाओं के प्रयोजन के लिए।"

3. लोप किया गया।

उपाबंध—III

गोवा भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का गोवा अधिनियम 9) दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित।

गोवा भू-राजस्व संहिता, 1968 का और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में गोवा विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गोवा भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1994 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर है।

2. **धारा 61 का संशोधन :**—दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त गोवा, दमण और दीव भू-राजस्व संहिता 1968 (1969 का अधिनियम 9) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 61 में उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई भी बात, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1) के अधीन अर्जित की गई किसी ऐसी भूमि को लागू नहीं होगी जिसकी बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं है और बन्दोबस्त और भूमि अभिलेख निदेशक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 16 के अधीन अभिप्राय कब्जे से संबंधित अभिलेखों के आधार पर भूमि अभिलेख में विभाजन कराए और आवश्यक परिवर्तन कराए।"

3. **धारा 97 का संशोधन :**—मूल अधिनियम की धारा 97 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई भी बात, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1) के अधीन अर्जित की गई किसी ऐसी भूमि को लागू नहीं होगी जिसकी बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद लंबित नहीं है और तलाटी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 16 के अधीन अधिप्राप्त कब्जे के बारे में अभिलेखों के आधार पर नामान्तरण कराएं।"

[फा० सं० यू-11015/4/95-यू० टी० एल०(185)]

पी० के० जलाली, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1996

G.S.R. 575(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Goa, Daman and Diu (Administration) Act,1962 (1 of 1962), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Daman and Diu, the enactments specified in column (2) of the Schedule annexed hereto, subject to the modifications specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

S.No.	Enactments	Modifications
(1)	(2)	(3)
1.	The Goa Land Revenue Code (Amendment) Act, 1988 (14 of 1988)	1. In Section 1, after sub section (2) the following sub-section shall be inserted, namely :— "(3) It extends to the Union Territory of Daman and Diu." 2. In Section 2, for the words and figures "the Goa Land Revenue Code , 1968 (Act 9 of 1969)" the words and figures "the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968 (Act 9 of 1969) as in force in the Union Territory of Daman and Diu " shall be substituted.
2.	The Goa Land Revenue Code (Amendment) Act, 1988 (Act 4 of 1989).	1. In Section 1, for sub-section (2) the following sub-sections shall be substituted, namely:— "(2) It shall come into force at once. (3) It extends to the Union Territory of Daman and Diu." 2. In section 2,-- (a) for the words and figures "the Goa Land Revenue Code, 1968 (Act 9 of 1969)", the words and figures "the Goa, Daman, and Diu Land Revenue Code, 1968 (Act 9 of 1969) as in force in the Union Territory of Daman and Diu" shall be substituted ; (b) in clause (ii) for the letters and figure "Rs.5/- ", the letters and figure "Rs 15./-" shall be substituted. 3. Section 3 shall be omitted.
3.	The Goa Land Revenue Code (Amendment) Act, 1994 (Act 9 of 1994).	1. In section 1, after sub-section (2) the following sub-section shall be inserted, namely :— "(3) It extends to the Union Territory of Daman and Diu." 2. In section 2, for the words and figures "the Goa Land Revenue Code, 1968 (Act 9 of 1969) ", the words and figures "the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968 (9 of 1969) as in force in the Union Territory of Daman and Diu" shall be substituted.

ANNEXURE-I

The Goa Land Revenue Code (Amendment) Act, 1988 (Act 14 of 1988) as extended to the Union Territory of Daman and Diu.

AN

ACT

Further to amend the Goa Land Revenue Code, 1968. Be it enacted by the Legislative Assembly of Goa in the Thirty-ninth year of the Republic of India as follows :—

1. *Short title and commencement:*--
 (1) This Act may be called the Goa Land Revenue Code (Amendment) Act, 1988.
 (2) It shall come into force at once.
 (3) It extends to the Union Territory of Daman and Diu.
2. *Amendment of Section 32.*—In Section 32 of the Goa , Daman and Diu Land Revenue Code, 1968 (Act 9 of 1969) as in force in the Union Territory of Daman and Diu :—

(i) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—
"(3) The Collector shall take a decision on the application within a period of sixty days from the date of receipt of the application and in case of his failure to do so, the person shall have the right to make an appeal to the Secretary (Revenue) to the Government who shall dispose of the appeal within a period of thirty days from the date of filing of appeal.".

(ii) In sub-section (4), the words " or deemed to have been granted" shall be deleted.

ANNEXURE—II

The Goa Land Revenue Code (Amendment) Act, 1988 (Goa Act 4 of 1989) as extended to the Union territory of Daman and Diu.

AN
ACT

Further to amend the Goa Land Revenue Code, 1968. Be it enacted by the Legislative Assembly of Goa in the Thirty- ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. *Short title and commencement.*—
(1) This Act may be called the Goa Land Revenue Code (Amendment) Act, 1988.
(2) It shall come into force at once.
(3) It extends to the Union Territory of Daman and Diu.

2. *Amendment of Section 32.*— In section 32 of the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968 (Act 9 of 1969) as in foce in the Union Territory of Daman and Diu, in sub-section (6), for the words and figure "prescribed under the rules" the following words and figures shall be substituted, namely :—

"prescribed under the rules on payment of the fees at the rates mentioned as under :—

(i)	on personal housing	Rs. 2/- per square metre.
(ii)	on commercial housing/ industrial and commercial constructions.	Rs. 15/- per square metre.

Provided that no such fees shall be leviable in cases where sanad is granted:—
(i) for area not exceeding two hundred square metres;
(ii) for the purpose of churches, temples, mosques, gurudwaras, sports, hospitals or educational charitable, cultural or religious institutions".

3. *Omitted.*

ANNEXURE—III

The Goa Land Revenue Code (Amendment) Act, 1994 (Goa Act 9 of 1994) as extended to the Union Territory of Daman and Diu.

AN
ACT

Further to amend the Goa Land Revenue Code, 1968. Be it enacted by the Legislative Assembly of Goa in the forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. *Short title and commencement.*—
(1) This Act may be called the Goa Land Revenue Code (Amendment) Act, 1994.
(2) It shall come into force at once.
(3) It extends to the Union Territory of Daman and Diu.

2. *Amendment of Section 61.*—In Section 61 of the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968 (Act 9 of 1969) as in force in the Union Territory of Daman and Diu (hereinafter referred to as the "Principal Act"), after sub-section (3) the following shall be inserted, namely:—

"Provided that nothing in this sub-section shall apply to any land acquired under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894), in respect of which no suit is pending in any Court and it shall be lawful for the Director of Settlement and Land Records to carry out, partition and effect necessary changes in the Land record on the basis of records relating to possession obtained under section 16 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894)."

3122-G/94-2

3. *Amendment of Section 97.*—In Section 97 of the Principal Act after sub-section (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that nothing in this sub-section shall apply to the lands acquired under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894), in respect of which no suit is pending in any Court and it shall be lawful for the Talathi to carry out the mutation on the basis of records relating to possession obtained under section 16 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894)."

[F. No. U-11015/4/95-UTL(185)]
P. K. JALALI, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996